न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 26/2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री चन्द्र प्रकाश दादवानी पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीचन्द (प्रोपराईटर), मैसर्स चन्द्रा आईस कोल्ड एण्ड ट्रेडर्स, 221/49, बाबू मौहल्ला, केसरगंज, अजमेर।
2. मैसर्स चन्द्रा आईस कोल्ड एण्ड ट्रेडर्स, 221/49, बाबू मौहल्ला, केसरगंज, अजमेर।
3. श्री रितेश गर्ग पुत्र श्री रमेश चन्द गर्ग (प्रोपराईटर), मैसर्स विनायक एन्अरप्राइजेज, दीपमाला हॉस्पिटल के पीछे, आदर्श नगर, अजमेर।
4. मैसर्स विनायक एन्अरप्राइजेज, दीपमाला हॉस्पिटल के पीछे, आदर्श नगर, अजमेर।
5. श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री भगवती प्रसाद शर्मा (नॉमिनी), मैसर्स हवमोर आईसक्रीम प्राइवेट लि0, जी–502, रोड नम्बर 9ए, वी के आई एरिया, जयपुर पिन 302013
6. मैसर्स हवमोर आईसक्रीम प्राइवेट लि0, जी–502, रोड नम्बर 9ए, वी के आई एरिया, जयपुर पिन 302013
7. श्री प्रदीप चौरसिया, असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, (क्वालिटी) (नॉमिनी), मैसर्स मानस फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लि0, प्लॉट नम्बर 92, सेक्टर 68, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, फरीदाबाद, हरियाणा पिन 121004
8. मैसर्स मानस फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लि0, प्लॉट नम्बर 92, सेक्टर 68, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, फरीदाबाद, हरियाणा पिन 121004

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

अभिभाषक : श्री अनुंज टांक, श्री कुलदीप सिंह अभिभाषक, अप्रार्थीगण की ओर से।

--: आदेश :--

दिनांक– 27.06.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) आइसक्रीम (हेवमोर ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी प्रार्थनापत्र, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र, अप्रार्थीगण द्वारा दिये गये विभिन्न दस्तोवज की प्रति प्रस्तुत की है।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 16.06.2023 को 04:15 पी एम पर बजे तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री मुकेश कुमार वैष्णव, मैसर्स चन्द्रा आईस कोल्ड एण्ड ट्रेडर्स, 221/49, बाबू मौहल्ला, केसरगंज, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री चन्द्र प्रकाश दादवानी मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान कोल्ड रूम में प्लास्टिक के कैरेट में 44 सील्ड पैक प्रत्येक 700 मिली वजनी आईसक्रीम (हेवमोर ब्राण्ड) विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त आईसक्रीम कीं गुणवत्ता एवं लेबल में कमी होने का शक होने पर उसमें से नमूना जाँच हेतु आईसक्रीम (हेवमोर ब्राण्ड) के 700मिली के 04 पैकेट, 300/– रूपयें श्री चन्द्रप्रकाश दादवानी को नगद देकर गवाह श्री सुशील कुमार चोटवानी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश दादवानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा आईसक्रीम (हेवमोर ब्राण्ड) को विक्रेता के सामने चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–3864चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बांद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा विक्रेता द्वारा नमूने के चौथे भाग की जाँच एन ए बी एल प्रयोगशाला में करवाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/11327 दिनांक 16.08.2023 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/890/

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

एक्ट/2023/924 दिनांक 05.07.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय आईसक्रीम (हेवमोर ब्राण्ड) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। अभिहित अधिकारी द्वारा पुनः जाँच हेतु सूचित करने पर विक्रेता या कम्पनी के किसी प्रतिनिधि द्वारा पुनः जाँच हेतु अपील प्रस्तुत नहीं की गयी।

इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 11.06.2024 को प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 11.06.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 31.07.2024 को श्री अनुज टांक ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 18.10.2024 को लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया एवं दिनांक 25.01.2025 को प्रार्थनापत्र वास्ते लिखित बहस करने बाबत प्रस्तुत किया।

बहस की नियत दिनांक को उभयपक्ष उपस्थित हुए तथा दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। अप्रार्थीगण ने अपने लिखित प्रत्युत्तर में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी शिकायत गलत है, निराधार है तथा कानूनी प्रक्रिया का पूर्णतया दुरूपयोग है। अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि नमूना जाँच हेतु लिये गये आईसक्रीम (हेवमोर ब्राण्ड) में 36 बून्द फार्मेलीन की डाली गयी थी जबकि आईसक्रीम के प्रत्येक 700मिली सेम्पल में 84 बून्द फार्मेलीन डाला जाना आवश्यक है। निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होने के कारण नमूना जाँच की गुणवत्ता व विश्वसनीयता संदेहास्पद है। खाद्य सुरक्षा विश्लेषक द्वारा आक्षेपित उत्पाद को दिनांक 19.06.2023 को जाँच हेतु प्राप्त किया था परन्तु दिनांक 27.06.2023 तक विश्लेषण नहीं किया। इस प्रकार 08 दिन के विलम्ब के कारण भी जाँच की गुणवत्ता व विश्वसीयता संदेहास्पद है। खाद्य सुरक्षा विश्लेषक को आक्षेपित पदार्थ की भौतिक स्थिति "गाढा सफेद रंग का द्रव" के रूप में प्राप्त हुई जबकि आईसक्रीम को ठोस अवस्था में बनाये रखे जाने के लिए (–) 18 सेल्सियस या उसके कम तापमान पर स्टोर किया जाना आवश्यक है। स्पष्ट है कि नमूना जाँच पदार्थ के लिए स्टोरेज की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। खाद्य सुरक्षा विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित नहीं है कि विश्लेषण के लिए किस पद्धति/विधि का प्रयोग किया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के नियम 2.4.2(5) के विपरीत है। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से डी ओ के समक्ष अपील प्रस्तुत करने बाबत किसी प्रकार का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ, जिससे कि रेफरल लेबारेट्री के समक्ष आक्षेपित नमूना की जाँच कराये जाने के अप्रार्थीगण के अधिकार का हनन हुआ है। खाद्य सुरक्षा विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.07.2023 को हस्ताक्षरित की गयी है जबकि अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट दिनांक 16.08.2023 को प्रेषित की है। इस कारण या तो खाद्य सुरक्षा विश्लेषक द्वारा जानबूझकर पुरानी दिनांक में रिपोर्ट हस्ताक्षरित की गयी है या अभिहित अधिकारी को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी परन्तु उनके द्वारा समय पर अप्रार्थीगण को भिजवायी नही जा सकी। यह भी निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 6, उक्त आक्षेपित उत्पाद के निर्माणकर्ता नहीं है केवल अप्रार्थी संख्या 8 ही इसका निर्माता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 रिटेलर व वितरक है तथा उनके द्वारा आक्षेपित उत्पाद उसी परिस्थिति मे विक्रय किया गया है जिस परिस्थिति में उन्हें निर्माणकर्ता से प्राप्त हुआ है। इस आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सेक्शन 80(बी)(2)(डी) के प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायी नहीं है। उपरोक्त बिन्दुओं के

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

आधार पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या 5 ने अपने लिखित प्रत्युत्तर में अवगगत कराया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वास्ते नमूना जाँच क्रय किये आईसक्रीम (हेवमोर ब्राण्ड) पर बैच नम्बर MP1512B अंकित है। निर्माता की सटीक पहचान के लिए, कम्पनी द्वारा लेबल पर स्पष्ट अंकित किया गया है कि अक्षर ''एन'' से प्रारम्भ होने वाले बैच की आइसक्रीम, हेवमोर कम्पनी द्वारा निर्मित की गयी है तथा अक्षर ''एम'' से प्रारम्भ होने वाले बैच की आइसक्रीम, मानस फ्रोजन फूड द्वारा निर्मित की गयी है।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अवगत कराया कि अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत सम्बन्धित खाद्य कारोबारकर्ता को नमूने की जाँच रिपोर्ट भिजवाते हुए यह रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाया गया कि यदि आप जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट नही है तो नमूने को रेफरेल फूड लैब में जाँच हेतु अपील की जा सकती है परन्तु न तो सम्बन्धित खाद्य कारोबारी द्वारा न ही निर्माता कम्पनी द्वारा पुनः जाँच हेतु कोई अपील अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिससे यह स्पष्ट है कि वे नमूने की जाँच से संतुष्ट है। सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में नमूने हेतु आईसक्रीम के 700 मिली के 04 नहीं अपितु 02 पैकेट ही क्रय किये गये थे तथा उन दो पैकेट को चार भागों में बांटते हुए प्रत्येक भाग में प्रिजरवेटिव फार्मेलीन की 36–36 बूंदे डाली गयी जो कि नियमानुसार सही है तथा आईसक्रीम को रूम टैम्प्रेचर तक पिघलाकर एवं पूरी तरह से समरूप करने के बाद ही नमूनीकरण की कार्यवाही की गयी है। रिपोर्ट भेजते समय अथवा नमूने की जाँच में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं की गयी है अपितु भिजवाये गये धारा 46(4) के नोटिस में भी स्पष्ट लिखा है कि नोटिस प्राप्ति की 30 दिवस की अवधि में पुनः जाँच हेतु अपील की जा सकती है। **इस प्रकार प्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के प्रावधानों की पूर्णतया एवं नियमानुसार पालना की जाकर समस्त जाँच प्रक्रिया का पालन किया गया है।**

न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि **अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किये गये आईसक्रीम (हेवमोर ब्राण्ड) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है।**

परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया आईसक्रीम (हेवमोर ब्राण्ड) अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण, खााद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्यपदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्वेनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। यद्यपि, नमूना जाँच हेतु क्रय की गयी आईसक्रीम, अप्रार्थी संखा 8

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

के द्वारा निर्मित की गयी है, परन्तु इसकी मार्केटिंग, हेवमोर कम्पनी द्वारा ही की जा रही है, जो कि भारत का एक सुप्रसिद्ध आईसक्रीम ब्राण्ड है तथा जनहित में यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि एक सुप्रसिद्ध ब्राण्ड अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ का विक्रय करे। अतः नमूना जाँच हेतु क्रय किये गये आईसक्रीम (हेवमोर ब्राण्ड) की मार्केटिंग कम्पनी पर भी शास्ति आरोपित किया जाना आवश्यक व उचित प्रतीत होता है। परिवाद में अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर निम्नानुार शास्ति आरोपित की जाती है –

1. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियमन 2011 की धारा 51 के तहत **निर्माता कम्पनी (अप्रार्थी संख्या 8)** मैसर्स मानस फ्रोजन फूड्स प्राइवेट लि0, फरीदाबाद, हरियाण जरिये अप्रार्थी संख्या 7 श्री प्रदीप चौरसिया, असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, (क्वालिटी) पर रू. 4,00,000/– (रू. चार लाख मात्र)
2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियमन 2011 की धारा 51 के तहत **अप्रार्थी संख्या 6 मैसर्स हवमोर आईसक्रीम प्रा0 लि0, जयपुर** पर रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख मात्र)
3. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियमन 2011 की धारा 51 के तहत **अप्रार्थी संख्या** 1 श्री चन्द्र प्रकाश दादवानी मैसर्स चन्द्रा आईस कोल्ड एण्ड ट्रेडर्स, बाबू मौहल्ला अजमेर (रिटेलर) पर रू 20,000/– (बीस हजार मात्र)
4. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियमन 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 3 श्री रितेश गर्ग पुत्र श्री रमेश चन्द गर्ग (प्रोपराईटर), मैसर्स विनायक एन्अरप्राइजेज, आदर्शनगर, अजमेर (स्टॉकिस्ट) पर रू. 20,000/– (बीस हजार मात्र)

अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास. चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 27.06.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 27.06.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फेसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्याय निर्णायक अधिकारी * अजमेर *

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर
अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/3992-4000 दिनांक : 22/07/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर
4. श्री चन्द्र प्रकाश दादवानी पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीचन्द (प्रोपराईटर), मैसर्स चन्द्रा आईस कोल्ड एण्ड ट्रेडर्स, 221/49, बाबू मौहल्ला, केसरगंज, अजमेर।

5 मैसर्स [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

6 श्री [illegible] शर्मा पुत्र श्री [illegible] [illegible] शर्मा (प्रोपराईटर), मैसर्स [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

7 मैसर्स [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

8 श्री [illegible] शर्मा पुत्र श्री [illegible] [illegible] शर्मा (पार्टनर), मैसर्स [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पिन [illegible]

9 मैसर्स [illegible] [illegible] [illegible] लि० [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पिन [illegible]

10 श्री [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], मैसर्स [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] लि० [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पिन [illegible]

11 मैसर्स [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] लि० [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पिन [illegible]